● Publishing Date : May 31, 2018 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मई, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय गर्मी अपने चर्म पर है और अभी दो हफ्ता ऐसे ही रहेगी। उम्मीद की जा रही है उसके बाद मानसून से पहले की बारिश आने की उम्मीद है जिससे मौसम कुछ ठंडा हो जायेगा। इस समय घरों में रखा हुआ आलू करीब–करीब समाप्त हो चुका है और अनुमानतः जिन शीतगृहों से भी मण्डी आलू जाने का चलन है वहाँ से आलू की निकासी थोड़ी बहुत चालू हो गई है।

अभी भण्डारणकर्ताओं में थोड़ी बहुत बैचेनी आ गई थी, जिसकी वजह से आलू के भाव में कुछ कमी आई। हमारा अपना अनुमान है कि शायद यह कमी उड़ीसा सरकार के Rate Control और Stock Control Order के कारण आई थी। लेकिन अब वह डर खत्म होता लगता है और आलू फिर से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही चल रहा है, जिस कारण से घबराने का कोई कारण नजर नहीं आता। आलू के भाव में निकट भविष्य में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी की आशा तो नहीं की जा सकती →

परन्तु घबराने का भी कोई कारण नहीं। हमारी सलाह है कि भण्डारणकर्ता को थोड़ा आलू हर भाव पर निकालते रहना चाहिए।

अभी हमने सब सदस्यो को एक ई मेल भेजी है। वह ई मेल पत्र हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

''वर्ष 2017 या वर्ष 2018 के लाईसेन्स नवनीकरण के लिए आप से उद्यान विभाग ने किन किन विभागो के अन्नापप्ति पत्र माँगे है, जैसे प्रदूषण बोर्ड, अग्निशमन, फैक्ट्री एक्ट, बिल्डिंग कोड आदि।

इस सम्बन्ध में आप जिला उद्यान अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र की कापी भेजने का कष्ट करे, जिस से हम एक केस तैयार कर सके कि शीतगृह उद्योग को लाईसेन्स नवनीकरण के सम्बन्ध में ऐसे अन्नापप्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है और उद्योग को इनसे मुक्त किया जाए।''

इस सम्बन्ध में आपकी तुरन्त कार्यवाही हमें बड़ी सहायक होगी। आपसे अनुरोध है कि जो भी पत्र आपको जिला उद्यान अधिकारी से 2017 या 2018 में लाईसेन्स नवनीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए है जिनमें आप से अग्निशमन अन्नापत्ति पत्र, प्रदूषण सम्बन्धी बोर्ड अन्नापत्ति पत्र, भवन निर्माण सुदृढ़ता या इसी सम्बन्ध में कोई और प्रमाण पत्र, फैक्ट्री एक्ट लाईसेन्स नवनीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि मॉगे गए है। उसकी प्रतिलिपि हमें अवश्य भेजे, जिससे कि हम अपना केस तैयार कर सके कि लाईसेन्स नवनीकरण में हमें प्रतिवर्ष इतने Certificate की क्या आवश्यकता है और कौन से Certificate किस रूप में लिए जाने चाहिए। इस समय के हालात तो ऐसे है कि लाईसेन्स नवनीकरण में 17/18 बिन्दुओं का पालन करना पड़ रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक green श्रेणी में आने वाले उद्योग को चला रहे है या फिर अत्यधिक विस्फोटक वा जहरीले उद्योग को चला रहे है। सरकार का नारा है कि उद्योग चलाने में सरलीकरण किया जाए जबकि कोल्ड स्टोरेज उद्योग के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमें आप का सहयोग चाहिए। यदि आप यह सूचना शीघ्र अति शीघ्र भेज देते है तो हम यह आशा करते है कि कुछ ना कुछ हल तो अवश्य निकलेगा और अक्टूबर माह तक नए नवनीकरण में हमें मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा बिजली Security पर ब्याज दर की घोषणा :

विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी पत्र हम यहाँ अपने सदस्यों के लिए प्रस्तुत कर रहे है, जिससे वह Security पर ब्याज का दावा प्रस्तुत कर सके। →

BEFORE THE UTTAR PRADESH
ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

In the matter of UPERC/Scey/VCA/2018-093

Specifying the rate of interest on security deposited by a person for electricity supply for the year 2017-18.

In the matter of :

1. Managing Director UP Power Corporation Ltd 3rd Floor Shakti Bhawan 14, Ashok Marg, Lucknow
2. Managing Director, Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. 4 Gokhale Marg, Lucknow
3. Managing Director Paschimanchal Vidyut Vitram Nigam Ltd. Victoria Park, Meerut.
4. Managing Director, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. Urja Bhawan 220 KV Up Sansthan Bypass Road, Agra-282007
5. Managing Director, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Purvanchal Vidyut Bhawan, PO Vidyut Nagar DLW, Varanasi
6. Managing Director, Kanpur Electricity Supply Co. Ltd. 14/71 Civil Lines, KESA House, Kanpur
7. Managing Director & CEO, Noida Power Company Ltd, Commercial Complex H-Block, Alpha Sector II, Greater Noida-201308

Order No. 8

In reference to section 47 (4), of the Electricity Act 2003, the distribution Licensee shall pay interest on the security deposited by a person for supply of electricity. The Commission specifies rate of interest on such Security at the bank rate of 6.75% as specified by Reserve Bank of India for 1st April 2017, this rate of interest shall be applicable for the financial year 2017-18. This rate of interest shall be payable to consumers as per clause 4.20 (i) of the Electricity Supply Code, 2005.

Managing Directors of all distribution licensees are directed to issue necessary instructions to the field billing staff and take necessary action for information of the general public.

With the approval of the Commission

(Sanjay Srivastava)
Secretary

Date 10.05. 2018

cc : to Shri Avadhesh Kumar Verma, Chairman, UP Rajya Vidyut Upbhokta Parishad, in reference letter no. 109/05/2018 dated 9.5.2018

→

औद्योगिक ईकाईयो को Electricity Duty से छूट :

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमावली हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। यह छूट वर्ष 2004 के बाद स्थापित ईकाईयो पर लागू हो जाएगी। हमें लगता है कि अनेक शीतगृह इसका लाभ उठा सकते है।

कार्यालय

सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन गाजियाबाद जोन,

F-6 (प्रथम तल), पटेल नगर–3, गाजियाबाद–201001

Email Id : electsafetyghaziabad@gmail.com, Mobile : 6390004126

नई औद्योगिक इकाईयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट।

नई औद्योगिक इकाईयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट देने के लिये ऊर्जा विभाग शासन ने औपचारिक नियमावली एवं प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत सुरक्षा निदेशालय को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। औद्योगिक एवं सेवा निवेश नीति 2004 के अर्न्तगत जारी ऊर्जा अनुभाग–3 का शासकीय आदेश संख्या 1765/ 24–3–2009–2000 (124) 09 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2010 अधिसूचना संख्या 276/24–पी –3– 2018–2000 (124) 2009 दिनांक 05–02–2018 के अर्न्तगत ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो 19 फरवरी, 2004 के बाद स्थापित हुई है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ दिनांक 21–01–2010 से अग्रिम 10 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाईयो द्वारा विद्युत कर छूट का क्लेम विद्युत सुरक्षा निदेशालय के स्थानीय कार्यालय सहायक निदेशक, विदयुत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन एफ–6, प्रथम तल, पटेल नगर–3, गाजियाबाद के यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कागजातों की आवश्यकता होती है।

1. Certificate for Claim (दावा प्रमाण पत्र)
2. Verified Detail of Total Amount Deposited on Account of E.D. in concerned Division with certified copy of electricity Bill.
3. Certified Load Sanctioned copy
4. Certified Initial Meter ceiling Certificate & Date of Energization

→

5. Eligibility Certificate (पात्रता प्रमाण पत्र) From District Industries and Enterprises Promotion Center

6. Initial & Renewal Electrical Safety Certificate From Electrical Safety Directorate.

उपरोक्त कागजात सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा उपनिदेशक को अग्रसारित किया जाता है। उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा संस्तुति सहित निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है। निदेशक, विद्युत सुरक्षा के अनुमोदन के पश्चात इलेक्ट्रिसिटी डयूटी में छूट का प्रमाण पत्र रीजनल उपनिदेशक द्वारा निर्गत करने के पश्चात विद्युत कर में छूट के लाभ को विद्युत सप्लायर के समक्ष अधिकारी द्वारा जायेगा।

इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट प्राप्त इकाई द्वारा प्रतिमाह विद्युत सप्लायर द्वारा जारी विद्युत बिल की छाया प्रति निदेशालय के जोनल कार्यालय में जमा की जायेगी।

औद्योगिक एवं सेवा निवेश नीति 2004 के अर्न्तगत जारी ऊर्जा अनुभाग–3 का शासकीय आदेश संख्या 1765/24–3–2009–2000(124)/09 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2010 अधिसूचना संख्या 276/24–पी–3–2018–2000 (124)। 2009 दिनांक 05–02–2018 के अर्न्तगत ऐसी औद्योगिक इकाईयों जो 19 फरवरी 2004 के बाद स्थापित हुई है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ दिनांक 21–01–2010 से अग्रिम 10 वर्ष के लिये दिया जा रहा है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 274/24–2018–2000(124)/2009 दिनांक 05–02–2018 के अन्तर्गत 23–01–2013 के पश्चात स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भी उपरोक्तानुसार विद्युत कर में छूट का लाभ मिलेगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 275/24–P–3–2018–2000(124)/2009 दिनांक 05.02.2018 के अन्तर्गत 13–07–2017 के पश्चात स्थापित होने वाली के पश्चात स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को भी उपरोक्तानुसार विद्युत कर में छूट का लाभ मिलेगा।

उपरोक्त अधिसूचनाओं, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 276/24–पी–3–2018–2000 (124)/2009 दिनांक 05.02.2018 के अनुसार 19 फरवरी, 2004 के बाद स्थापित उद्योगों को उपभुक्त विद्युत ऊर्जा पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक एवं सेवा

→

क्षेत्र निवेश नीति 2004 का अनुमोदन उत्तर प्रदेश के मंत्रीमंडल द्वारा 19 फरवरी, 2004 की बैठक में किया गया था तथा उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा अनुभाग–3 के अधिसूचना संख्या 1765/24–3–2009–2000(124)/09 लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2010 को जारी हुई है, इस लिये 19 फरवरी 2004 के बाद स्थापित उद्योगों को उपभुक्त विद्युत ऊर्जा पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट दिनांक 21–01–2010 से अग्रिम 10 वर्ष के लिये दिये जाने का प्रावधान है। उपरोक्तानुसार उपरोक्त नीतियों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले औद्योगिक इकाईयो के विद्युत कर में छूट देने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। औद्योगिक इकाईयो द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी छूट का लाभ लेने के लिए निम्न प्रक्रिया के साथ निम्न औचपारिकतायें पूर्ण करके सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद जोन, F–6, (प्रथम तल), पटेल नगर–3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत करके प्राप्ति रसीद उद्यमी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो पहले से ही विद्युत कर में छूट का लाभ ले रही है। ऐसी औद्योगिक इकाईयों को भी अधिसूचना के अनुसार दावे के लिए प्रमाणपत्र (Certificate for Claim) उपरोक्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करके सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि उनके विगत वर्षो की विद्युत कर की छूट की धनराशि का नियमन (regularization) हो जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विद्युत कर में छूट का लाभ आगे भी जारी रहेगा। उपरोक्त अधिसूचना एवं प्रक्रिया के अनुसार दावे के लिए प्रमाणपत्र (Certificate for Claim) सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, कार्यालय में प्रस्तुत करना वैधानिक रूप से आवश्क है। यदि ऐसी औद्योगिक इकाईया के द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अनुरूप दावे के लिए प्रमाणपत्र (Certificate for Claim) विद्युत सुरक्षा निदेशालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनको विद्युत कर में छूट का लाभ आगे जारी नहीं रहेगा।

ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जो कुछ समय चलने के बाद पूर्णतया बन्द (Closed) हो गयी है, उनके द्वारा रिफंड के लिये प्रमाणपत्र (Certificate for Refund) फार्म भर करके प्रस्तुत करने पर उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की धनराशि विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा वापस की जायेगी।

(कमला कान्त शुक्ल)
सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
F-6, प्रथम तल, पटेल नगर–3, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

Storage Period and Temperature for Different Fruits in Cold Storage :

हम यहाँ पर विभिन्न फल वा अन्य खाद्य पदार्थों को भण्डारित करने के सम्बन्ध में यह चार्ट प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तापमान पर कितने समय तक वह खाद्य पदार्थ को भण्डारित किया जा सकता है। यह सूचना हमें Frick India Ltd कम्पनी द्वारा जारी News Letter से मिली है।

Products	**Fridge**	**Freezer Storage**
	at 4^0C or lower	**at -18^0C or lower**
Fresh Vegetables		
Asparagus	3 days	8-12 months
Beans green or waxed	5 days	8 months
Broccoli	5 days	8-12 months
Carrots	2 weeks	10-12 months
Celery	2 weeks	10-12 months
Cucumbers	6-7 days	8-12 months
Egg Plant	2-3 days	8-12 months
Peas	3-5 days	8-12 months
Spinach	2-4 weeks	10-12 months
Summer squash	1 week	10-12 months
Winter squash	2 weeks	10-12 months
Tomatoes	Don't refrigerate	2 months

Products	**Fridge**	**Freezer Storage**
	at 4^0C or lower	**at -18^0C or lower**
Fruits and Juices		
Apple	1 month	8-12 months
Apricots	5 days	8-12 months
Avocados	5 days	8-12 months
Cherries	2-3 days	8-12 months
Kiwis	6-8 days	4-6 months
Mangoes	–	8-12 months
Melons	5 days	8-12 months
Peaches	2-3 days	8-12 months
Pears	5 days	8-12 months
Pineapples	5-7 days	4-6 months
Plums	5 days	8-12 months
Plantains	–	8-12 months

प्रदूषण सम्बन्धी :

IIDC (Infrastructure and Industrial Department) उत्तर प्रदेश ने प्रदूषण बोर्ड से उद्योगों के लिए अपने नियमों को सरल करने के लिए कहा है। यह खबर The Times of India, Lucknow दिनांक 19 मई, 2018 को छपी है।

इसको हम अपने सदस्यों के लिए प्रस्तुत कर रहे है। इसमें सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि आज भी सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योगों को दो साल में एक बार प्रदूषण विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है जबकि शीतगृह जो किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते और हरित श्रेणी में आते है उन्हे प्रति वर्ष अन्नापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है।

'Give 'Red' Industries 5-Years Pollution Permit'

UPPCB to Vet IIDC Pitch on Relaxing Norms

neha.lalchandani@timesgroup.com

Lucknow : To improve ease of doing business in the state , the infrastructure and industrial development department has asked the UP Pollution Control Board to let the 'most polluting industries' keep their permission for emission and discharge for five year instead of the current two.

The proposal is for the red category or most pollution industries such as distilleries, fertilizer plants, pharmaceutical and cement manufacturing, pesticides and tanneries. The permission is granted as a consent from UPPCB to discharge or emit pollutants, which are then dealt with accordingly. Sources in the Board, however, say that the state's industries have a poor record in compliance and such a move could allow for unchecked pollution. Infrastructure and industrial

→

development commissioner Anup Chandra Pandey said the Centre follows the norm of granting consent for five years and that he had requested UPPCB to increase the validity of this consent for UP as well.

"In a trouble-shooting meet of Udyog Bandhu, industrialists proposed that we allow consent for five years, like the Centre, I have asked UPPCB to consider making necessary changes. If it can help simplify procedures for the industry, it should definitely be considered", he said. Officials said the matter will now be taken up by the Board.

However, sources in UPPCB said that a similar proposal had already been rejected earlier over concerns that industries would fail to follow pollution control norms and a check every two years would be a better proposition. "Forget the Centre, Maharashtra gives this consent for 15 years but the level of compliance there is much better. As per the Environment Protection Act, there is a specified procedure for renewing consent to emit and discharge and the owner of the unit needs to submit documents to the Board each time the consent is renewed. But things are easier now as UPPCB applications are to be made online. The worry is that compliance will fall sharply if this process is changed", said an official.

Among the 70-odd cases of grievance redressal taken up during the Udyog Bandhu meeting, the government has decided to get a study commissioned on the kinds of industries that can be permitted within the Taj trapezium.

MSME Sector पर TV Channel पर Seminar :

18 मई, 2018 को आगरा में ET Now Television Channel पर श्री राजेश गोयल, सेकेट्री, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डियॉ Panelist के रूप में आये। इस मीटिंग में पाँच Panelists थे और MSME (Micro Small and Medium Enterprises) उद्योगपतियों की योग्यता कैसे बढ़ाई जाए, इस सम्बन्ध में चर्चा की जो कि करीब एक घण्टा चली। इस चर्चा को सुनने के लिए हाल में जिसमें कि Panelists बैठे थे, करीब 150 व्यक्ति उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए श्री राजेश गोयल बधाई के पात्र है। हम इस Seminar की फोटो यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। बायें से दायें दूसरे स्थान पर श्री राजेश गोयल बैठे हैं।

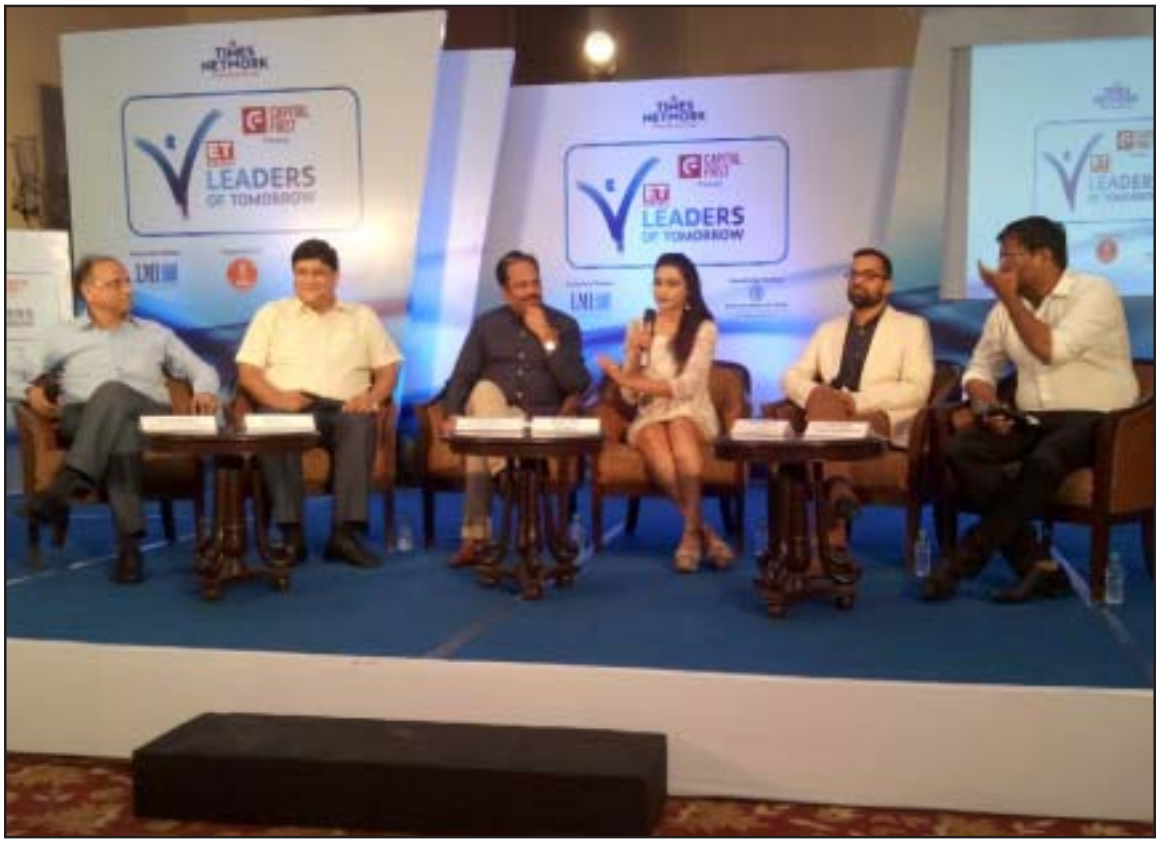

GST के सम्बन्ध में :

GST सम्बन्धी कुछ और जानकारी हम यहाँ प्रकाशित कर रहे है जो कि हमें All Rajasthan Cold Storage Association के मार्फत प्राप्त हुई है।

All Rajasthan Cold Storage Association Group

Mobile : 9414076121

WhatsApp Message from Shri Om prakash Sadhwani dated 20.5.2018

Time 12:01 PM

GST Audit by CAs

GST Audit-Section 2 (13) :

It is an examination of records, returns and other documents maintained by the registered person under this Act to verify :

- ❑ The correctness of turnover declared
- ❑ Taxes paid
- ❑ Refund claimed and
- ❑ Input tax credit availed and
- ❑ To assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder :

COMPULSORY AUDIT OF GST SECTION 35 (5) :

- ❑ Every registered person
- ❑ Whose turnover during a financial year exceeds Rs. 2 crores
- ❑ Gets his accounts audited by a CA or CWA

ANNUAL RETURN (GSTR 9C)

SECTION- 44 (2)

GSTR 9 should be filed by the regular tax payers filing GSTR 1 ,2, & 3 whereas, the registered person who is liable to get their accounts audited under this act shall fie return in form GSTR 9C alongwith:

→

- ❑ Copy of audited annual accounts and
- ❑ Reconciliation statement of tax already paid and tax payable as per audited accounts.

PENALTY :

1. **In case of failure to file annual return:** Rs.100 per day per act subject to maximum of 0.25% of state turnover.
2. **In case of failure to get accounts audited from CA:** upto Rs. 25,000/

Regards

CA Gulshan Sadwani
Ahmedabad

Ministry of Food Processing :

Ministry of Food Processing ने चित्रकूट, जनपद बाँदा, उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग का आयोजन किया था जिसको श्री अरविन्द अग्रवाल, उपाध्यक्ष इलाहाबाद जोन, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने attend किया था। फूड प्रोसेसिंग पर भाषण देते हुए श्री अरविन्द अग्रवाल।

फार्म 4

❑ प्रकाशन स्थान	:	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशन अवधि	:	मासिक
❑ मुद्रक का नाम	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ प्रकाशक का नाम	:	महेन्द्र स्वरूप
❑ क्या भारत का नागरिक है	:	हाँ
❑ पता	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
❑ जो व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी हो तथा जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो	:	कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर

महेन्द्र स्वरूप

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित